घरेलू हिंसा महिला सरंक्षण अधिनियम 2005

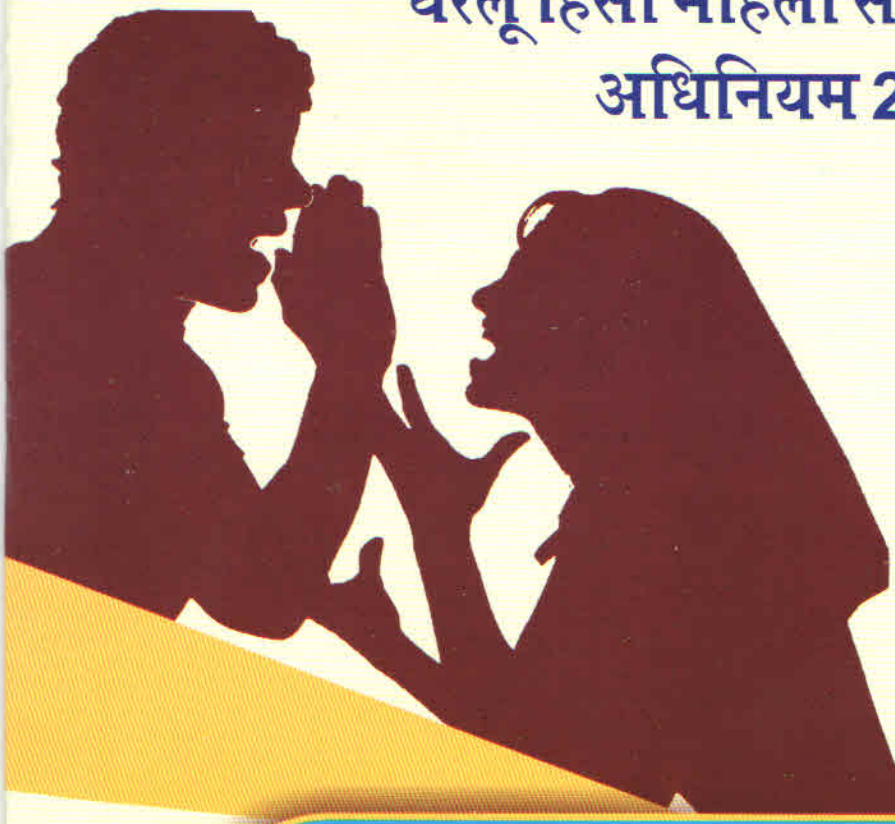

हिंसा रहित घर हर महिला का अधिकार

महिला एंव बाल विकास निदेशालय,
पंचकूला, हरियाणा ।

महिलाओं व बच्चों का विशेष कक्ष

हरियाणा सरकार की विशिष्ट पहल द्वारा प्रत्येक जिला पुलिस मुख्यालय पर महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कक्ष स्थापित किये गये हैं, जहां घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

उद्देश्य :–

इस कक्ष का उद्देश्य घर में दुर्व्यवहार के सभी रूपों –शारीरिक, यौनिक, आर्थिक, भावनात्मक हिंसा से प्रभावित पत्नियों, माताओं, बहनों, बेटियों सहित सभी महिलाओं को मदद प्रदान करना है।

घरेलू हिंसा क्या है ?

घर में किसी भी महिला के साथ निम्न प्रकार से किया गया व्यवहार घरेलू हिंसा हैं जैसे कि

- **शारीरिक हिंसाः–**

  महिला के साथ मारपीट करना, गुम चोट पहुंचाना आदि।

- **यौनिक हिंसाः–**

  जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, जबरदस्ती अश्लील फिल्म या तस्वीर दिखाना, ऐसा कोई भी व्यवहार जो महिला के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाता हो ।

- **आर्थिक हिंसाः–**

  महिला को जीवन यापन हेतु खर्चा न देना, रोजगार करने से रोकना, तनख्वाह छीन लेना या खर्च करने से रोकना, घर से जबरन निकाल देना, घर के किसी हिस्से में जाने से रोकना, मकान के किराये की अदायगी न करना, दहेज मांगना आदि।

- **भावनात्मक हिंसाः—**

गाली देना, चरित्र हनन करना, शिक्षा ग्रहण करने से रोकना, घर में बंधक बनाना, जबरन शादी करना, आत्महत्या के लिए मजबूर करना आदि।

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अपने संरक्षण के लिए किस अधिकारी से सम्पर्क करे।

घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अपने संरक्षण के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क कर सकती हैंः—

जिला स्तर परः—

1. संरक्षण अधिकारी
2. सेवा प्रदाता / सर्विस प्रोवाइडरः-
   कोई भी स्वयं सेवी संस्था जो किसी अन्य विधि के अधीन महिलाओं के अधिकारों और हितों की विधि मान्य साधनों द्वारा सहायता करती हैं।
3. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ।

- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अपनी शिकायत का ब्यौरा संरक्षण अधिकारी को दे सकती है।
- महिला की जरूरत के अनुसार शिकायत का निपटारा परामर्श प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।

जरूरत पड़ने पर महिला को :—

- मुफ्त कानूनी सहायता;
- हिंसा होने पर मुफ्त डाक्टरी जांच;
- रहने की व्यवस्था;

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला निम्नलिखित आदेश प्राप्त कर सकती है:—

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को सरंक्षण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित महिला द्वारा मांगी गई राहत प्रदान की जा सकती हैं।

1. बच्चों की अभिरक्षा सम्बंधित आदेश
2. सुरक्षा / सरंक्षण आदेश
3. आवासीय आदेश
4. रख रखाव से संबंधित आदेश
5. हर्जाना सम्बन्धित आदेश

आपातकालीन मामलों में की जाने वाली कार्यवाही:—

यदि संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को ई मेल, टेलिफोन, किसी पीड़ित महिला या विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त होती हैं कि घरेलू हिंसा का कृत्य हो रहा हैं या होने की संभावना है, इस स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता मांगेगी जो यथा स्थिति घटनास्थल पर जायेगी और घरेलू हिंसा की रिर्पोट को अभिलिखित करके समूचित आदेश प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी।

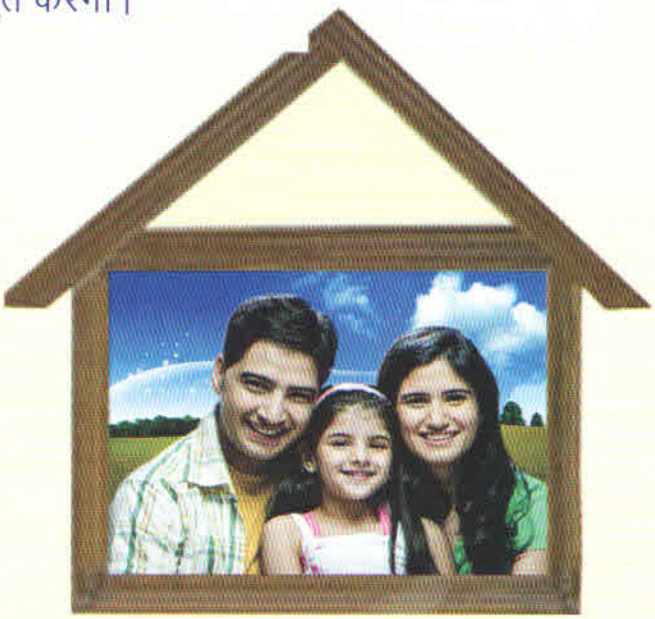

घरेलू हिंसा संरक्षण प्रक्रिया

पीडित महिला

↓

पुलिस अधिकारी / संरक्षण अधिकारी / सेवा प्रदाता को घरेलू हिंसा के बारे में रिर्पोट करना

↓

न्यायालय दंण्डाधिकारी शिकायत के आधार पर तुरंत संरक्षण आदेश जारी कर सकता हैं।

↓

इसके बाद प्रतिपक्ष न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा।

↓

बचाव पक्ष एंवम प्रतिपक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायलय निर्णय देगा

↓

न्यायालय आदेश की पालना

↓

न्यायालय आदेशों की अवमानना होने पर प्रतिपक्ष के खिलाफ केस दर्ज होगा

↓

सजा एक साल की जेल या बीस हजार रूपये जुर्माना या दोनों भी किये जा सकते हैं।

न्यायालय दंण्डाधिकारी घरेलू हिंसा संरक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर दोनों पक्षों के आपसी तालमेल के लिए परामर्शदाता के पास भेज सकता हैं यदि इस दौरान दोनों पक्ष समझौंते के लिए तैयार होते हैं तो न्यायालय द्वारा समझौते के दृष्टिगत ही आदेश जारी किये जायेंगें।

आप के आस पास के क्षेत्र में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही हैं तो आप अपने अपने क्षेत्र से संबंधित अधिकारी के दिये गये निम्न मोबाईल नम्बरों पर तुरंत सूचना दें।

जिला स्तर पर सरंक्षण एवंम प्रतिषेध अधिकारी

	जिला	अधिकारी	मोबाइल नं.
1	अम्बाला	शालिनी शर्मा	9466120444
2	भिवानी	हरबंस कौर	8607222475
3	फरीदाबाद	हेमा कौशिक	9210474464
4	फतेहाबाद	रेखा रानी	08814011719
5	गुडगाँव	मीना कुमारी	9968902506
6	हिसार	बबीता चौधरी	9729011052
7	झज्जर	माधवी लौहचब	9996051132
8	जींद	कृष्णा चौधरी	9466125312
9	कैंथल	सुनीता	9813453138
10	करनाल	सविता राणा	9466125250
11	कुरूक्षेत्र	दीपशिखा	9729920004
12	महेंन्द्रगढ	सरिता	9466117028
13	मेवात	मधु जैंन	9992367666
14	पंचकूला	सोनिया सभ्रवाल	9501144188
15	पानीपत	रजनी गुप्ता	9729022757
16	रेवाडी	नीलम शर्मा	9416327237
17	रोहतक	करमिंद्र कौर	9466106100
18	सिरसा	साधना मित्तल	9812031086
19	सोनीपत	भानू गौंड	9466111474
20	यमुनानगर	सीमा गर्ग	9992011022
21	पलवल	सुमन चौधरी	9813985280

अगर जिला मुख्यालय का कोई अधिकारी आपको तुरंत सहायता प्रदान नही करता तो आप सीधे तौर पर मुख्यालय पर सम्पर्क कर सकते हैं, परामर्शदाता, निदेशालय पंचकूला 08699156002, महिला व बाल विकास विभाग, बेज न0 15–20 सैक्टर 4, पंचकूला, हरियाणा। या हमें ई मेल करें domesticviolence.haryana@gmail.com

महिला हेल्पलाईन नं. 1091